पर्यावरण और वन मंत्रालय

मांग संख्या 30

पर्यावरण और वन मंत्रालय

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1616.46	375.61	1992.07	2169.07	136.67	2305.74	2169.07	170.56	2339.63	2234.50	176.79	2411.29
	पूंजी	***13.51***	*14.17*	*27.68*	*30.93*	*14.49*	*45.42*	*30.93*	*14.96*	*45.89*	*65.50*	*15.18*	*80.68*
	जोड़	**1629.97**	**389.78**	**2019.75**	**2200.00**	**151.16**	**2351.16**	**2200.00**	**185.52**	**2385.52**	**2300.00**	**191.97**	**2491.97**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	39.25	39.25	...	28.44	28.44	...	34.69	34.69	...	36.55	36.55
वानिकी और वन्यजीवन													
2. *शिक्षा और प्रशिक्षण*													
2.01 राज्य वन रेंजर्स महाविद्यालय	2406	3.66	6.01	9.67	4.39	4.08	8.47	4.39	6.28	10.67	4.39	6.70	11.09
	4406	0.56	...	0.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*4.22*	*6.01*	*10.23*	*4.39*	*4.08*	*8.47*	*4.39*	*6.28*	*10.67*	*4.39*	*6.70*	*11.09*
2.02 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	2406	13.69	6.51	20.20	25.00	11.53	36.53	31.00	11.53	42.53	25.00	12.09	37.09
	4406	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*13.71*	*6.51*	*20.22*	*25.00*	*11.53*	*36.53*	*31.00*	*11.53*	*42.53*	*25.00*	*12.09*	*37.09*
2.03 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण	2406	2.88	...	2.88	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
2.04 भारतीय वानिकी प्रबंध संस्थान	2406	8.00	3.35	11.35	10.00	2.30	12.30	10.00	2.50	12.50	10.00	2.50	12.50
2.05 अन्य सेवा कार्मिक प्रशिक्षण	2406	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2.06 वानिकी कार्मिक विदेशी प्रशिक्षण	2406	0.48	...	0.48	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2.07 अन्य पणधारियों का प्रशिक्षण	2406	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
2.08 वन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण तथा कार्मिक प्रशिक्षण	2406	0.14	...	0.14	34.90	...	34.90	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
जोड़- शिक्षा और प्रशिक्षण		*29.43*	*15.87*	*45.30*	*78.79*	*17.91*	*96.70*	*59.89*	*20.31*	*80.20*	*93.89*	*21.29*	*115.18*
3. *अनुसंधान*													
3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद	2406	109.93	20.00	129.93	85.00	20.00	105.00	101.60	24.50	126.10	85.00	24.50	109.50
3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान	2406	5.56	2.26	7.82	7.00	2.00	9.00	7.00	2.30	9.30	7.00	2.30	9.30
जोड़- अनुसंधान		*115.49*	*22.26*	*137.75*	*92.00*	*22.00*	*114.00*	*108.60*	*26.80*	*135.40*	*92.00*	*26.80*	*118.80*
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग-भारतीय वन सर्वेक्षण	2406	5.83	11.39	17.22	5.74	8.15	13.89	5.74	10.25	15.99	5.77	10.82	16.59

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	4406	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*5.83*	*11.39*	*17.22*	*5.77*	*8.15*	*13.92*	*5.74*	*10.25*	*15.99*	*5.77*	*10.82*	*16.59*
5. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन													
5.01 पुनर्जनन-वन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	2406	9.94	...	9.94	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50
	4406	3.05	...	3.05	0.50	...	0.50	0.53	...	0.53	0.50	...	0.50
	जोड़	*12.99*	...	*12.99*	*11.00*	...	*11.00*	*11.03*	...	*11.03*	*11.00*	...	*11.00*
5.02 वन प्रबंधन को गहन बनाना	2406	0.93	...	0.93	1.19	...	1.19	1.19	...	1.19	1.19	...	1.19
	3601	67.93	...	67.93	43.00	...	43.00	43.00	...	43.00	43.00	...	43.00
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*68.86*	...	*68.86*	*44.20*	...	*44.20*	*44.20*	...	*44.20*	*44.20*	...	*44.20*
5.03 राष्ट्रीय वानिकी सूचना प्रणाली	2406	0.04	...	0.04	0.33	...	0.33	0.33	...	0.33	0.33	...	0.33
5.04 गैर-टिम्बर वन उत्पाद स्रोतों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय समन्वित कार्यक्रम	2406	...	...	...	0.32	...	0.32	0.32	...	0.32	0.32	...	0.32
5.05 काष्ठ और गैर काष्ठ वन संसाधनों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	2406	0.17	...	0.17	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85
जोड़- वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन		*82.06*	...	*82.06*	*56.70*	...	*56.70*	*56.73*	...	*56.73*	*56.70*	...	*56.70*
6. वन्य जीव संरक्षण													
6.01 भारतीय वन्य जीव संस्थान	2406	18.01	2.06	20.07	15.50	1.81	17.31	15.50	1.91	17.41	15.50	1.95	17.45
6.02 प्रोजेक्ट टाइगर	2406	2.60	...	2.60	14.30	...	14.30	14.30	...	14.30	14.71	...	14.71
	3601	201.51	...	201.51	139.90	...	139.90	151.61	...	151.61	130.90	...	130.90
	जोड़	*204.11*	...	*204.11*	*154.20*	...	*154.20*	*165.91*	...	*165.91*	*145.61*	...	*145.61*
6.03 प्रोजेक्ट एलीफेंट	2406	0.33	...	0.33	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	3601	20.83	...	20.83	18.00	...	18.00	19.00	...	19.00	18.00	...	18.00
	जोड़	*21.16*	...	*21.16*	*18.50*	...	*18.50*	*19.50*	...	*19.50*	*18.50*	...	*18.50*
6.04 केन्द्रीय वन्य जीव प्राधिकरण	2406	17.50	...	17.50	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35
6.05 वन्य जीव अपराध नियंत्रण	2406	4.09	...	4.09	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
6.06 पशुओं का कल्याण	2406	24.00	1.70	25.70	24.00	1.50	25.50	24.00	1.50	25.50	24.00	1.45	25.45
6.07 जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना (ईएपी)	2406	0.16	...	0.16	3.00	...	3.00	0.52	...	0.52	3.00	...	3.00
6.08 वन्य जीव निवास का एकीकृत विकास	2406	0.60	...	0.60	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	3601	72.51	...	72.51	61.00	...	61.00	61.00	...	61.00	61.00	...	61.00
	जोड़	*73.11*	...	*73.11*	*62.50*	...	*62.50*	*62.50*	...	*62.50*	*62.50*	...	*62.50*
जोड़- वन्य जीव संरक्षण		*362.14*	*3.76*	*365.90*	*298.05*	*3.31*	*301.36*	*308.28*	*3.41*	*311.69*	*289.46*	*3.40*	*292.86*

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
7. प्राणी विज्ञान उद्यान	2406	0.57	7.47	8.04	0.60	7.86	8.46	0.60	8.01	8.61	0.65	8.22	8.87
	4406	0.48	...	0.48	0.40	...	0.40	4.90	...	4.90	5.00	...	5.00
	जोड़	*1.05*	*7.47*	*8.52*	*1.00*	*7.86*	*8.86*	*5.50*	*8.01*	*13.51*	*5.65*	*8.22*	*13.87*
8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2406	...	1.59	1.59	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60
9. राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम													
9.01 राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	2406	15.03	...	15.03	15.50	...	15.50	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00
9.02 राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	2406	317.58	...	317.58	228.00	...	228.00	234.50	...	234.50	228.00	...	228.00
9.03 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागान विकास निगम	6406	...	10.45	10.45	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00
9.04 समुदायों के साथ सामाजिक वानिकी (पंचायत वन योजना)	2406	...	...	...	20.00	...	20.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम		*332.61*	*10.45*	*343.06*	*263.50*	*11.00*	*274.50*	*248.50*	*11.00*	*259.50*	*242.00*	*11.00*	*253.00*
जोड़-वानिकी और वन्यजीवन		**928.61**	**72.79**	**1001.40**	**795.81**	**71.83**	**867.64**	**793.24**	**81.38**	**874.62**	**785.47**	**83.13**	**868.60**
पारिस्थितिकी और पर्यावरण													
10. सर्वेक्षण													
10.01 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	3435	17.02	22.93	39.95	20.00	12.85	32.85	20.00	24.16	44.16	12.00	25.78	37.78
	5425	0.69	...	0.69	3.00	...	3.00	2.20	...	2.20	3.00	...	3.00
	जोड़	*17.71*	*22.93*	*40.64*	*23.00*	*12.85*	*35.85*	*22.20*	*24.16*	*46.36*	*15.00*	*25.78*	*40.78*
10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण	3435	21.25	16.08	37.33	23.49	10.75	34.24	23.49	13.47	36.96	14.49	14.35	28.84
	5425	1.13	...	1.13	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*22.38*	*16.08*	*38.46*	*25.49*	*10.75*	*36.24*	*24.49*	*13.47*	*37.96*	*16.49*	*14.35*	*30.84*
जोड़- सर्वेक्षण		*40.09*	*39.01*	*79.10*	*48.49*	*23.60*	*72.09*	*46.69*	*37.63*	*84.32*	*31.49*	*40.13*	*71.62*
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार													
11.01 पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण योजना	3435	42.91	0.01	42.92	44.00	0.04	44.04	41.25	0.04	41.29	41.50	0.04	41.54
11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	3435	5.94	1.46	7.40	7.50	2.21	9.71	7.50	1.46	8.96	7.50	1.55	9.05
	5425	6.11	...	6.11	5.00	...	5.00	8.40	...	8.40	5.00	...	5.00
	जोड़	*12.05*	*1.46*	*13.51*	*12.50*	*2.21*	*14.71*	*15.90*	*1.46*	*17.36*	*12.50*	*1.55*	*14.05*
जोड़- पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार		*54.96*	*1.47*	*56.43*	*56.50*	*2.25*	*58.75*	*57.15*	*1.50*	*58.65*	*54.00*	*1.59*	*55.59*
12. सरंक्षण कार्यक्रम													
12.01 जैव मंडल प्रारक्षण	3435	2.57	...	2.57	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.20	...	2.20
	3601	7.94	...	7.94	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	7.30	...	7.30
	जोड़	*10.51*	*...*	*10.51*	*9.50*	*...*	*9.50*	*9.50*	*...*	*9.50*	*9.50*	*...*	*9.50*
12.02 क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता	3435	2.24	...	2.24	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20
12.03 मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र एवं	3435	2.64	...	2.64	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
नमभूमिं													
	3601	16.54	...	16.54	14.50	...	14.50	14.50	...	14.50	14.50	...	14.50
	जोड़	*19.18*	*...*	*19.18*	*17.50*	*...*	*17.50*	*17.50*	*...*	*17.50*	*17.50*	*...*	*17.50*
जोड़- सरंक्षण कार्यक्रम		*31.93*	*...*	*31.93*	*29.20*	*...*	*29.20*	*29.20*	*...*	*29.20*	*29.20*	*...*	*29.20*
13. पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय													
13.01 पर्यावरणीय सूचना प्रणाली	3435	6.24	0.06	6.30	7.00	0.61	7.61	7.00	0.61	7.61	7.00	0.64	7.64
13.02 उत्कृष्टता केन्द्र	3435	7.46	1.47	8.93	8.33	1.55	9.88	11.08	1.55	12.63	8.33	1.55	9.88
जोड़- पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय		*13.70*	*1.53*	*15.23*	*15.33*	*2.16*	*17.49*	*18.08*	*2.16*	*20.24*	*15.33*	*2.19*	*17.52*
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्जनन													
14.01 अनुसंधान और विकास	3435	5.85	...	5.85	9.60	...	9.60	9.60	...	9.60	9.60	...	9.60
14.02 जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	3435	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00
14.03 पारिस्थितिकी-विकास बल	3435	22.36	...	22.36	12.00	...	12.00	28.00	...	28.00	9.00	...	9.00
जोड़- अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्जनन		*38.21*	*...*	*38.21*	*31.60*	*...*	*31.60*	*48.60*	*...*	*48.60*	*28.60*	*...*	*28.60*
15. अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग	3435	9.65	1.70	11.35	11.81	2.10	13.91	23.66	2.10	25.76	13.00	2.10	15.10
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण													
16. राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम													
16.01 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	3435	5.73	...	5.73	6.71	...	6.71	6.71	...	6.71	6.71	...	6.71
16.02 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना													
16.02.01 कार्यक्रम घटक	3435	270.99	...	270.99	622.93	...	622.93	499.93	...	499.93	373.00	...	373.00
16.02.02 ईएपी घटक	3435	105.00	...	105.00	50.00	...	50.00	173.00	...	173.00	300.00	...	300.00
जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना		*375.99*	*...*	*375.99*	*672.93*	*...*	*672.93*	*672.93*	*...*	*672.93*	*673.00*	*...*	*673.00*
16.03 राष्ट्रीय झील संरक्षण येाजना	3435	44.97	...	44.97	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़- राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम		*426.69*	*...*	*426.69*	*729.64*	*...*	*729.64*	*729.64*	*...*	*729.64*	*729.71*	*...*	*729.71*
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम													
17.01 जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण (उपकर)													
17.01.01 उपकर व्यय	3435	...	209.96	209.96	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00
17.01.02 घटाइए: जल उपकर प्राप्तियों को घटाकर	0045	...	...	...	...	-250.00	-250.00	...	-250.00	-250.00	...	-250.00	-250.00
	निवल	*...*	*209.96*	*209.96*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
17.02 पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग एवं न्यायाधिकरण की स्थापना	3435	0.64	...	0.64	1.00	...	1.00	1.75	...	1.75	10.00	...	10.00
17.03 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3435	34.50	20.27	54.77	40.00	17.19	57.19	40.25	22.00	62.25	40.00	22.00	62.00
17.04 सामान्य मल-जल शोधन संयंत्रों का संवर्धन	3435	5.01	...	5.01	5.71	...	5.71	5.71	...	5.71	5.71	...	5.71

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम		*40.15*	*230.23*	*270.38*	*46.71*	*17.19*	*63.90*	*47.71*	*22.00*	*69.71*	*55.71*	*22.00*	*77.71*
18. *प्रभाव मूल्यांकन*													
18.01 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	3435	3.03	0.10	3.13	3.50	0.10	3.60	5.00	0.10	5.10	3.50	0.10	3.60
18.02 स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन	3435	2.94	...	2.94	3.05	...	3.05	3.05	...	3.05	3.05	...	3.05
जोड़- प्रभाव मूल्यांकन		*5.97*	*0.10*	*6.07*	*6.55*	*0.10*	*6.65*	*8.05*	*0.10*	*8.15*	*6.55*	*0.10*	*6.65*
जोड़-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		**472.81**	**230.33**	**703.14**	**782.90**	**17.29**	**800.19**	**785.40**	**22.10**	**807.50**	**791.97**	**22.10**	**814.07**
19. *अन्य कार्यक्रम*													
19.01 प्रदूषण का शमन	3435	5.60	...	5.60	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50
19.02 धरोहर में पर्यावरणीय प्रबंध, ताज संरक्षण मिशन सहित तीर्थ यात्रा और पर्यटन केन्द्र	3601	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
19.03 खतरनाक पदार्थ प्रबंध													
19.03.01 कार्यक्रम घटक	3435	7.40	...	7.40	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
19.03.02 ईएपी घटक	3435	0.22	...	0.22	25.00	...	25.00	7.00	...	7.00	25.00	...	25.00
जोड़- खतरनाक पदार्थ प्रबंध		*7.62*	*...*	*7.62*	*32.50*	*...*	*32.50*	*14.50*	*...*	*14.50*	*32.50*	*...*	*32.50*
19.04 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	3435	2.93	...	2.93	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
19.05 भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थन कार्यक्रम (ईएपी)	3435	5.36	...	5.36	3.82	...	3.82	3.82	...	3.82	1.82	...	1.82
19.06 टैक्सोनोमी-क्षमता निर्माण परियोजना	3435	2.17	...	2.17	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75
19.07 जैव विविधता संरक्षण													
19.07.01 कार्यक्रम घटक	3435	3.70	...	3.70	4.00	...	4.00	6.79	...	6.79	9.50	...	9.50
19.07.02 ईएपी घटक	3435	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
जोड़- जैव विविधता संरक्षण		*3.70*	*...*	*3.70*	*4.50*	*...*	*4.50*	*6.79*	*...*	*6.79*	*9.50*	*...*	*9.50*
19.08 सूचना प्रौद्योगिकी	3435	4.31	...	4.31	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
19.09 जलवायु परिवर्तन परियोजना	3435	6.05	...	6.05	7.00	...	7.00	5.15	...	5.15	7.00	...	7.00
19.10 सिविल निर्माण एकक	5425	1.47	3.72	5.19	20.00	3.49	23.49	13.90	3.96	17.86	50.00	4.18	54.18
19.11 राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम													
19.11.01 कार्यक्रम घटक	3435	1.52	...	1.52	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...
19.11.02 ईएपी घटक	3435	...	...	...	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	267.60	...	267.60
जोड़- राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम		*1.52*	*...*	*1.52*	*150.00*	*...*	*150.00*	*151.00*	*...*	*151.00*	*267.60*	*...*	*267.60*
जोड़- अन्य कार्यक्रम		*40.73*	*3.72*	*44.45*	*235.08*	*3.49*	*238.57*	*212.41*	*3.96*	*216.37*	*385.68*	*4.18*	*389.86*
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण		**702.08**	**277.76**	**979.84**	**1210.91**	**50.89**	**1261.80**	**1221.19**	**69.45**	**1290.64**	**1349.27**	**72.29**	**1421.56**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	193.28	...	193.28	185.57	...	185.57	165.26	...	165.26
21. वास्तविक वसूलियां	2406	-0.07	...	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3435	-0.65	-0.02	-0.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-0.72*	*-0.02*	*-0.74*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1629.97***	***389.78***	***2019.75***	***2200.00***	***151.16***	***2351.16***	***2200.00***	***185.52***	***2385.52***	***2300.00***	***191.97***	***2491.97***
	विकास शीर्ष	**बजट सहायता**	**आं. ब. बा. सं.**	**जोड़**	**बजट सहायता**	**आं. ब. बा. सं.**	**जोड़**	**बजट सहायता**	**आं. ब. बा. सं.**	**जोड़**	**बजट सहायता**	**आं. ब. बा. सं.**	**जोड़**
ग. योजना परिव्यय													
1. वनरोपण एवं वन्य जीव	12406	928.54	...	928.54	795.81	...	795.81	793.24	...	793.24	785.47	...	785.47
2. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	701.43	...	701.43	1210.91	...	1210.91	1221.19	...	1221.19	1349.27	...	1349.27
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	193.28	...	193.28	185.57	...	185.57	165.26	...	165.26
जोड़		**1629.97**	**...**	**1629.97**	**2200.00**	**...**	**2200.00**	**2200.00**	**...**	**2200.00**	**2300.00**	**...**	**2300.00**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **शिक्षा और प्रशिक्षण:**

2.01. **राज्य वन सेवा रेंजर्स महाविद्यालय:** देहरादून, बर्नीहाट और कोयम्बटूर में 3 राज्य वन सेवा महाविद्यालय हैं। ये महाविद्यालय, एस.एफ.एस. अधिकारियों के लिए द्विवार्षिक पाठयक्रम चलाते हैं।

2.02. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी:** यह अकादमी, देहरादून में भारतीय वन महाविद्यालय को प्रोन्नत करके और इसे वन अनुसंधान संस्थान से अलग करने के द्वारा दिनांक 25.05.1987 को सृजित की गई थी। यह अकादमी भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है।

2.03. **आई.एफ.एस. अधिकारियों का प्रशिक्षण:** इस स्कीम के अंतर्गत आई.एफ.एस. अधिकारियों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

2.04. **भारतीय वानिकी प्रबन्धन संस्थान:** यह संस्थान, छठी योजना के दौरान बृहत वनीकरण और विशेष वन कार्यक्रम के साथ-साथ संरक्षण, अधिकतम उपयोग और वन आधारित उत्पादों में स्थान और समय के पार उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने संबंधी प्रबंधकीय दक्षताओं और विशेषज्ञता को विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

3. **अनुसंधान : ये प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में हैं:**

3.01. **भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद:** यह परिषद, विद्यमान वन क्षेत्र को संरक्षित करने और वनों की उत्पादकता को बढ़ने के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के विचार से स्थापित की गई थी। दिनांक 1.6.1991 से भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद को स्वायत्त दर्जा दिया गया है। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, अनुसंधान में उत्कृष्टता का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न पारि-भौगोलिक क्षेत्रों में आई. सी. एफ. आर. ई. के निम्नलिखित पांच संस्थान हैं जो इन क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। (i) काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलौर (ii) वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर (iii) पर्णपाती वन संस्थान, जबलपुर (iv) शुष्क-क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (v) वर्षा और आर्द पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट

3.02. **भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान:** यह संस्थान वर्ष 1983 में प्लाईवुड उद्योग तथा भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।

4. **वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोगिता:** भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियमित अंतरालों पर विस्तृत वन संसाधन सर्वेक्षण करता है तथा वैज्ञानिक वानिकी आयोजना को सुविधापूर्वक बनाने के लिए पुनर्तालिकाबद्ध बनाने के माध्यम से मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर आयोजना हेतु सूचना प्रस्तुत करता है।

5. **वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्धव:** यह अनियंत्रित वननाशन, वन भूमि के वनेत्तर उपयोग के अपवर्तन को रोकने, वन सुरक्षा बल को सुदृ करने, चराई नियंत्रण, सिर पर लादकर ईंधन लकड़ी को हटाने पर प्रतिबंध और वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु वैकल्पिक ईंधनों की आपूर्ति को अभिज्ञात करने के लिए चालू कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्कीम वन प्रबंधन का तीव्रीकरण है।

6. **वन्यजीव परिरक्षण:**

6.01. **भारतीय वन्यजीव संस्थान:** यह संस्थान प्रशिक्षण और सेवा-कालीन अधिकारियों को लगातार शिक्षा प्रदान करता है और वन्यजीव में दो-वर्षीय एम.एस.सी पाठयक्रम भी आयोजित करता है।

6.02. **बाघ परियोजना:** बाघ परियोजना, वन्यजीव परिरक्षण हेतु कार्यान्वियनाधीन केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।

6.03. **हाथी परियोजना:** हाथी परियोजना, वन्यजीव परिरक्षण हेतु कार्यान्वियनाधीन केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।

6.04. **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण:** केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वन्यजीव परिररक्षण हेतु कार्यान्वियनाधीन केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।

6.05. **वन्य जीव अपराध नियंत्रण:** वन्य जीव अपराध नियंत्रण, वन्यजीव परिररक्षण हेतु कार्यान्वियनाधीन केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।

6.06. **पशु कल्याण:** इस स्कीम के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियां आश्रय गृह, पशु जन्म नियंत्रण, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाएं और राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान की स्थापना हैं। इस स्कीम का कार्यान्वियन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया गया है।

6.07. **जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना:** जैव विविधता संरक्षण स्कीम के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण, इसका सतत उपयोग और जैव संसाधनों और जानकारी के उपयोग से उत्पन्न हो रहे लाभों की उचित और सम्यक सहभागिता संबंधी मामले निपटाये जाते हैं।

6.08. **वन्यजीव वास-स्थलों का एकीकृत विकास:** वन्यजीव वास-स्थलों का एकीकृत विकास, वन्य जीव परिरक्षण हेतु कार्यान्वियनाधीन केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।

9.01. **राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड:** देश में वनीकरण, वनारोपण, परिस्थितिकीय पुनर्स्थापना और पारि-विकास को बढ़वा देने के प्रधान लक्ष्य से अगस्त, 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। पश्चिमी हिमालयी, अरावली, पश्चिमी घाटों इत्यादि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से दुर्बल क्षेत्रों के साथ-साथ अवक्रमित वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों से लगी भूमि, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य स्कीम, राष्ट्रीय वनीकरण स्कीम है। एन.ए.ई.बी. में यू.एन.सी.सी.डी. और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी शामिल है।

10. **सर्वेक्षण:**

10.01. **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण:** भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, द्वारा (क) देश के सम्पूर्ण पौध संसाधनों का सर्वेक्षण (ख) देश की सभी प्राणि-जाति का सम्पूर्ण वर्गीकरणात्मक अध्ययन (ग) सभी संकटापन्न प्रजातियों की सूची की तैयारी और उनके प्रभावी संरक्षण के लिए उपाय (घ) आर्थिक रूप से और अन्यथा, मानवों के लिए उपयोगी पौधों की पहचान, संग्रहण और नमूनों के परिरक्षण की देखरेख के कार्य किए जाते हैं।

10.02. **भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण:** भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, जन्तु-अध्येता सर्वेक्षण और व्यवस्थित प्राणि-विज्ञान, पशु पारिस्थितिकी तथा समुद्री जन्तु सहित पशुओं के विभिन्न समूहों के प्राणि-भूगोल में अनुसंधान कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं (क) प्राणिजात संबंधी संसाधनों की खोज और सर्वेक्षण (ख) वर्गीकरणात्मक अध्ययन और (ग) संकटापन्न प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण।

11. **पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण विस्तार:**

11.01. **पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण स्कीम:** यह मंत्रालय, प्रदर्शिनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से देश की जनता के लगभग सभी आयु वर्गों को पर्यावरणीय शिक्षा देने को प्राथमिकता देता है। मंत्रालय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर तथा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़वा देने में भी लगा है। इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य कार्यकलापों में (क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरुकता अभियान (ख) पारि-क्लब (राष्ट्रीय हरित कोर) और जन-जागरुकता शामिल हैं।

11.02. **राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय:** राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पारिस्थितिकीय और वन्यजीव के क्षेत्र में विद्यालय जाने वाले छात्रों को गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक केन्द्र है।

12. **संरक्षण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें, नमभूमियों और कच्छ वनस्पतियों, जैव-मंडल रिजर्वों का संरक्षण और प्रबंधन तथा क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता है।

13. **पर्यावरण आयोजना और समन्वय:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें पर्यावरण सूचना तंत्र (एनविस) और उत्कृष्टता केंद्र हैं। एनविस के अंतर्गत पर्यावरणीय सूचना का एकत्रण, मिलान किया जाता है और इसे 76 विषय विशिष्ट एनविस केंद्रों के नेटव के माध्यम से व्यापक रेंज के प्रयोक्ताओं को वितरित किया जाता है।

14. **अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्उत्पादन:** इन कार्यक्रम के अंतर्गत विविध संगठनों द्वारा शुरु की गई अनुसंधान परियोजनाएं, मंत्रालय द्वारा समर्थित हैं। मंत्रालय पारि-विकास, क्षतिग्रस्त पारि-तंत्र की पुनर्बहाली और अवक्रमित क्षेत्रों के पुनरुद्धव में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों की अधिक सक्रिय सहभागिता पर बल देता है।

15. **अंतरराष्ट्रीय समन्वय:** पर्यावरणीय अनुसंधान के विकास, पारि-पुनरुद्धव और कार्यशालाओंसेमिनारों में लगे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और यूएनओ के योगदान के लिए प्रावधान है।

16. **राष्ट्रीय नदियों और झीलों के प्रदूषण की रोकथाम:** गंगा नदी के प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम संबंधी प्रचलित स्कीम के कार्य क्षेत्र को सभी राष्ट्रीय नदियों और झीलों को कवर करते हुए व्यापक किया गया है। राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषित भागों को साफ करने और इसके कार्यान्वयन निरीक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। प्रमुख कार्यक्रम अपवर्तन, सीवर की सफाई और पंपिंग सेटों के नवीकरण से संबंध है। वे स्कीमें, जिन्हें शुरु किया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार हैं (i) अपशिष्ट जल के नदियों में गिरने से अवरोधन एवं अपवर्तन (ii) जैव-ऊर्जा जैसे संसाधनों की रिकवरी से अपशिष्ट जल का शोधन (iii) अन्य साफ-सफाई संबंधी उपाय जैसे कि कम लागत में साफ-सफाई, जैव संरक्षण इत्यादि। नदी संरक्षण कार्यनीति के नवीकरण और नदी बेसिन आयोजना के समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण संवर्धन हेतु गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीबीआरए) को गंगा नदी के लिए सशक्त आयोजना, वित्त-पोषण, मानीटरन और समन्वय प्राधिकरण के रुप में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, 42 शहरी झीलों को और खराब होने से बचाने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

17. **वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम:** प्रावधान में शामिल है. (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता अनुदान, राज्य सरकारोंकेन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता तथा प्रासंगिक योजनाओं का वित्त पोषण करना। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। बोर्ड पर वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का दायित्व भी है। प्रावधान के अंतर्गत सामान्य बहिःस्राव शोधन संयंत्रों के संवर्द्धन के लिए प्रदान अनुदान भी शामिल है। दसवीं योजना के दौरान पर्यावरणीय लेखा परीक्षा, पर्यावरणीय सांख्यिकी एवं मानचित्रण और लघु उद्योगों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों इत्यादि का निरोधक उपायों द्वारा औद्योगिक प्रदूषण शमन के रूप में विलय कर दिया गया।

18. **प्रभाव मूल्यांकन:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य योजनाएं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास एवं संवर्द्धन है। पर्यावरणीय आकलन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 (ईआईए) के प्रावधानों के अनुसार 22 राज्योंसंघ राज्यों में राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) राज्य विशेषज्ञ आकलन समितियां (एसईएसी) गठित की गई हैं। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना प्रक्रिया का और अधिक सुचारू बनाने के लिए दिसम्बर, 2009 में ईआईए अधिसूचना में एक संशोधन किया गया। विकासात्मक परियोजनाओं की 44 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र पर अधिसूचना के अनुपालन में संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे है।

18.01 & 02. **पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में क्षमता निर्माण और संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया:** उद्देश्य इस प्रकार है (i) केन्द्र और राज्यसंघ शासित स्तरों पर संशोधित पर्यावरणीय मंजूरी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण; (ii) ईएमसीबी परियोजना के क्रम में मॉनीटरन कार्यतंत्र का सुदृढ़ीकरण; (iii) भारतीय गुणता परिषद के माध्यम से ईआईए परामर्शदाताओं का प्रत्यायन।

19. **अन्य कार्यक्रम:** इन स्कीमों अर्थात् ताजमहल की सुरक्षा सहित प्रदूषण के निवारण के लिए सहायता और खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीयराज्य अनुसंधान संस्थानों और अन्य सरकारी एजेंसियोंसंगठनों की उनकी तकनीकी क्षमताओं को सुदृ करने के उद्देश्य से सहायता करना है।

19.05. **भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण सहायता कार्यक्रम (ईएपी):** यह कार्यक्रम पर्यावरण क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए अभिप्रेत है और विकेन्द्रीकरण और जन-भागीदारी पर फोकस पर आधारित है।

19.06. **वर्गिकी क्षमता निर्माण परियोजना:** अभिनिर्धारित अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र और वर्गिकी कार्य में अन्तराल और वर्गिकी में क्षमता निर्माण के लिए अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की गई है।

19.11. **राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम:** विद्यमान सी.आर.जेड़. अधिसूचना, 1991 को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रालय ने प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरुप तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) अधिसूचना 1994 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए, एक प्रारुप तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिसूचना जारी की गई और लोक परामर्श जारी हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों में शामिल हैं (क) तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण (ख) तटीय क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की संरक्षण तथा जीविका की सुरक्षा (ग) तटीय क्षेत्रों के आस-पास सतत् विकास का संवर्धन (घ) भूमि आधारित कार्यकलापों से होने वाले प्रदूषण के कारण तटीय पर्यावरण की क्षति को नियंत्रित करने के उपाय।

20. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु परियोजनाओंस्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान:** पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में स्कीमों हेतु 165.26 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।